न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/70

1. रतन आयु 67 वर्ष आत्मज धन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम त्रिशुल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. अर्जुन लाल आयु 45 वर्ष ।
3. पप्पूलाल आयु 40 वर्ष ।
4. पन्नालाल आयु 35 वर्ष पिसरान रतना जाति मीणा निवासीगण ग्राम त्रिशुल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

गोरधन आयु 55 वर्ष आत्मज बिसना जाति मीणा निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 जरिये मुख्तार रामेश्वर मीणा आत्मज बिसना जाति मीणा निवासी रजतगृह कोलोनी नैनवा रोड बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम त्रिशुल्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 372 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 374 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 377 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 378 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर

379 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 07 की रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी गोरधन के खातेदारी की भूमि है । गोरधन जी अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहते है इसलिए उन्होंने अपने भाई रामेश्वर को मुख्तार आम नियुक्त कर रखा है । वादग्रस्त आराजी पर वादी निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी की भूमि के सहारे प्रतिवादीगण के खाते की भूमि स्थित है । वादी की भूमि खसरा नम्बर 376 व 374 की सीमाएं प्रतिवादीगण की भूमि से मिली हुई हैं । वादी के ग्राम त्रिशुल्या में नहीं रहने का अनुचित फायदा उठाकर वादी की भूमि खसरा नम्बर 376 व 374 तथा प्रतिवादी की भूमि के मध्य की स्थित मेड को प्रतिवादीगण ने दिनांक 14 नम्बर, 2014 को वादी की गैर मौजूदगी में नष्ट कर दिया है तथा वादी की भूमि खसरा नम्बर 376 की 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 374 की 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि को अवैध रूप से हांककर कब्जा कर लिया है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वापस कब्जा प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 374 में से 02 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम त्रिशुल्या से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2021 के द्वारा वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.03.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर वादी खातेदार गोरधन का रामेश्वर मीणा मुख्तारआम होने सम्बन्धी कोई विधि सम्मत प्रमाण साक्ष्य हेतु पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रामेश्वर मीणा को मुख्तार काल्पनिक आधार पर मानते हुए निर्णय पारित करने में विधि के न्यायिक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना की है । रामेश्वर मीणा को गोरधन के खातेदारी की उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तुत करने का एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी गोरधन के खातेदारी की उक्त भूमि मोहनलाल व

कजोडी से कयशुदा भूमि है तथा वादी उक्त भूमि एवं अपीलान्ट की भूमि के बीच में नहर के पानी का धौरा सदैव से बना हुआ है । उक्त धौरा वादी व प्रतिवादीगण की भूमियों को अलग–अलग चिन्हित करता है । रेस्पोडेन्ट राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच का व्यक्ति है तथा अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर अपीलान्ट के परोक्ष में गलत तरीके से भूमि का सीमाज्ञान करवाया है । वास्तव में वादी की भूमि की सीमा के बाद नहर का धौरा स्थित है। इस नहर के धौरे के बाद प्रतिवादीगण की कृषि भूमि स्थित है जिस पर अपने पूर्वजों के समय से अपीलान्ट लगभग 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर वादी खातेदार गोरधन का रामेश्वर मीणा मुख्तारआम होने सम्बन्धी कोई विधि सम्मत प्रमाण साक्ष्य हेतु पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रामेश्वर मीणा को मुख्तार काल्पनिक आधार पर मानते हुए निर्णय पारित करने में विधि के न्यायिक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना की है । रामेश्वर मीणा को गोरधन के खातेदारी की उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तुत करने का एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक नहीं है । वादी गोरधन का मुख्तारआम रामेश्वर मीणा को यदि माना भी जावे तो भी मुख्तारआम की साक्ष्य, शहादत नहीं होगी वरन् स्वयं वादी गोरधन की साक्ष्य, शहादत होगी, प्रस्तुत प्रकरण में वादी स्वयं गोरधन साक्ष्य, शहादत हेतु उपस्थित नहीं रहा है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की साक्ष्य बन्द करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि पर जिस पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं । प्रस्तुत प्रकरण को यदि परीक्षण न्यायालय में रिमाण्ड किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को कोई अपत्ति नहीं है ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम त्रिशुल्या की आराजी खाता संख्या नया 08 में कुल 07 किता की रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि गोरधन पिसरान बिसना जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति अपंजीकृत मुख्तारनामा आम संलग्न है ।

11. वादी की ओर से बयान रामेश्वर मीणा पीडब्ल्यू–1, महावीर पीडब्ल्यू–2, रमेश पीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

12. वादीग रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिस परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर वाद वादी डिक्री कर दिया । अपीलान्ट मुख्यतः साक्ष्य प्रस्तुत करने के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित करवाना चाहते हैं परन्तु परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु परीक्षण न्यायालय ने पर्याप्त अवसर प्रदान किये हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि वह नहीं चाहते कि भविष्य में किसी भी हायर–कोर्ट से तकनीकी आधार पर भविष्य में पत्रावली प्रतिप्रेषित हो, ऐसी स्थिति में वह भी चाहते हैं कि पत्रावली रिमाण्ड कर दी जावे । विद्वान् अभिभाषक

रेस्पोडेन्ट का कथन था कि उन्हें भी परीक्षण न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जावे तथा प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो जावे । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन था कि रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है । अतः उन्हें साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जावे । इस प्रकार उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण पत्रावली को साक्ष्य के बिन्दु पर प्रतिप्रेषित करने हेतु कथन किया है । प्रकरण में पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर की साक्ष्य को लेकर तकनीकी विधिक बिन्दु विद्यमान है तथा प्रतिवादी एवं वादी भी साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत वाद की प्रकृति व गुणावगुण के आधार पर आवश्यकतानुसार पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 17.10.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा